22/8/19 पत्रावली पेश हुई वादी स्वयं तथा वादी के अधिवक्ता हाजिर नहीं। वकील प्रतिवादी हाजिर। वादी एवं वादी के अधिवक्ता को 3-4 बार तक बाद में आवाज लगायी गई। न तो वादी हाजिर हुआ तथा ना ही वादी की ओर से कोई अधिवक्ता हाजिर हुआ। अतः वाद वादी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

Scanned by CamScanner